



YOUR APPLICATION NO : -207108120221127144749

Welcome : 9934676553 [ Log Out ]

[Download and Print Application Form](#)

Status Of  
Application

**Resolve By Block (BEO) and send to District(DEO)**

**THIS SCHOOL IS FULL FILL TO RTE NORMS.ALL TEACHERS ARE TRAINED . THIS SCHOOL IS BIG PLYGROUND .**



YOUR APPLICATION NO : -207108120221127144749

Welcome : 9934676553 [ Log Out ]

(क) आपके पंजीकरण का विवरण

दयालय का नाम	IS PUBLIC SCHOOL	शिक्षा का वर्ष	2021-2022
पते का नाम	MADHUBANI	ब्लॉक का नाम	Harlakhi
साइट नंबर	9934676553	ईमेल आईडी	ISPSKOO LHISSAR@GMAIL.COM
आधार का पता	VPO- HISSAR, P.S. KHIRHAR,	गाँव/ नगर	HISSAR
पिन कोड	847230	नजदीकी पुलिस स्टेशन	KHIRHAR
आप संख्या एस0 टी0 डी0 कोड के साथ	9471084938	फैक्स नंबर	
Interate Mobile No	7564804343		

(ख) सामान्य सूचनाएँ , तथा (ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र :-	Details Uploaded
(घ) नामांकन स्थिति :-	Details Uploaded
(च) आधार भूत संरचना का ब्यौरा एवं सव्छता की स्थिति :-	Details Uploaded
(छ) अन्य सुविधाएँ , तथा (झ) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यदर्शनी :-	Details Uploaded
(ज) शिक्षकों का ब्यौरा :-	Details Uploaded
कार्यजात अपलोड करे :-	Details Uploaded
Finilise :-	Finilised



प्रपत्र -2

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,  
मधुबनी।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,  
इन्दिरा शिव शंकर पब्लिक स्कूल,  
हिसार।

मधुबनी, दिनांक 28-09-2019

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा निश्चयावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2019 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय इन्दिरा शिव शंकर पब्लिक स्कूल, हिसार प्रखंड-हरलाखी को कक्षा एक से आठ तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति नवीकरण प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति नवीकरण निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति नवीकरण किसी भी परिस्थिति में कक्षा आठ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य, प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक को स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे :-
  - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - III. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - IV. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन किया जाएगा।

सचिव

14

# Bihar Education Project

Jagat Lal Mishra Complex  
Rahika Road, Sapta,  
Madhubani- 847214



पत्रांक AIE .....

# बिहार शिक्षा परियोजना

जगत लाल मिश्रा कम्पलेक्स (सूर्य कला भवन),  
रहिका रोड, सप्ता  
मधुबनी -847214

- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी -स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है:-
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल -                    | 63 कट्टा                    |
| कुल निर्मित क्षेत्र -                            | 20 कट्टा                    |
| खेल के मैदान का क्षेत्र -                        | 43 कट्टा                    |
| वर्ग कक्षों की कुल संख्या -                      | 40                          |
| प्रधानाध्यापक-सह- कार्यालय -सह- भंडार कक्ष -     | 02                          |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय -        | बालक-6, बालिका-6 एवं कॉमन-3 |
| पेयजल की सुविधा -                                | घापाकल-05 एवं नल-04         |
| मध्याह्न भोजन के लिए रसोईघर -                    | हाँ                         |
| बाधारहित पहुँच -                                 | हाँ                         |
| शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय - | हाँ                         |
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृत नवीकरण कोड संख्या - 42/2013-14 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

सचिव  
26/05/2022

Hukab  
26/05/19  
PRINCIPAL  
I. S. PUBLIC SCHOOL  
HISSAR, BIHAR, MADHUBANI-84  
AM-310682, Seta, 25689

विश्वासभाजन  
26/05/2022

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान,

26/05/2022